भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1876

1 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- कृषि वानिकी को बढ़ावा देना

1876.श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कोई प्लान/योजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कृषि-वनीकरण के लिए चिह्नित किए गए क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि वानिकी में संलग्न किसानों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए 'हर मेढ़ पर पेड़' योजना/कार्यक्रम कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो इस संबंध में हासिल की गई उपलब्धियों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) नामक केंद्रीय प्रायोजित योजना किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने की दृष्टि से, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसलों/फसल प्रणालियों के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2016-17 से क्रियान्वित किया गया था। इस योजना को अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि-वानिकी घटक के रूप में पुनर्संरचित किया गया है और यह गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों को नर्सरी की स्थापना और पौधे उगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख): एसएमएएफ को 21 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और 2 संघ राज्य क्षेत्रों नामत: जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में क्रियान्वित किया गया था। यह योजना इमारती लकड़ी के परिवहन के लिए उदार पारगमन नियमों वाले राज्यों में लागू की गई थी। पुनर्संरचित कृषि वानिकी घटक को आरकेवीवाई के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए, 25 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आवंटन किया गया है जैसा कि **अनुबंध I** में दर्शाया गया है।

(ग): आरकेवीवाई के पुनर्संरचित कृषि वानिकी घटक के अंतर्गत, किसानों को नर्सरी स्थापित करने और पौधे उगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रदान की जा रही सहायता के लागत मानदंडों का विवरण **अनुबंध- II** में दर्शाया गया है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जारी धनराशि और चालू वर्ष के लिए निधि आवंटन का राज्य-वार विवरण **अनुबंध- I** में दर्शाया गया है।

(ड.): कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) फसलों/फसलन प्रणालियों के साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए "हर मेढ़ पर पेड़" के सिद्धांत के साथ वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के दौरान क्रियान्वित किया गया ताकि किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत, 1,61,238 हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण के तहत लाया गया है, 899 नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं और लगभग 683 लाख पेड़ लगाए गए हैं। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15583.64 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

अनुबंध I

लो.स.अ.ता.प्र.सं.1876

कृषि-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए जारी धनराशि का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	जारी की गई धनराशि (पूर्ववर्ती एसएमएएफ के तहत) (लाख रुपये)*			आरकेवीवाई के कृषि-वानिकी के अंतर्गत निधियों का आवंटन (लाख रुपये.)**
		2019-20	2020-21	2021-22	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	50.00
2	असम	0	0	0	200.00
3	बिहार	100.00	20.00	0	50.00
4	छत्तीसगढ़	200.00	100.00	36.22	300.00
5	गोवा	0	0	0	50.00
6	गुजरात	400.00	400.00	233.16	1150.00
7	हरियाणा	0	0	0	100.00
8	हिमाचल प्रदेश	83.42	75.00	0	200.00
9	जम्मू एवं कश्मीर	0	75.00	0	300.00
10	झारखंड	200.00	0	0	300.00
11	कर्नाटक	700.00	536.62	250.00	1250.00
12	केरल	0	0	42.00	50.00
13	लद्दाख	0	50.00	0	121.00
14	मध्य प्रदेश	0	0	12.00	450.00
15	महाराष्ट्र	75.00	160.00	0	400.00
16	मणिपुर	0	0	100.00	100.00
17	मेघालय	0	26.24	0	200.00
18	मिजोरम	175.00	100.00	40.44	200.00
19	नागालैंड	72.60	108.70	0	128.00
20	ओडिशा	75.00	150.00	123.40	200.00
21	पंजाब	250.00	137.50	0	700.00
22	राजस्थान	0	0	0	100.00
23	तमिलनाडु	230.50	334.19	0	899.00
24	तेलंगाना	0	0	0	100.00
25	उत्तर प्रदेश	200.00	400.00	0	900.00
26	उत्तराखंड	0	0	0	100.00
27	पश्चिम बंगाल	0	0	0	100.00
योग		2761.52	2673.25	837.22	8698.00

* कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) को दिनांक 01.04.2022 से बंद कर दिया गया था।

** राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कृषि वानिकी घटक के लिए वार्षिक आवंटन।

अनुबंध-II

लो.स.अ.ता.प्र.सं.1876

आरकेवीवाई के कृषि-वानिकी घटक के तहत प्रदान की जा रही सहायता के लागत मानदंडों का विवरण

क्र.सं.	**घटकों का नाम**	**इकाई लागत (ऊपरी सीमा) (रुपये लाख में)**	**टिप्पणी**
1.	**नई नर्सरियों की स्थापना**		
	(क) हाई-टेक (2 हेक्टेयर)	50.00	सरकारी भूमि पर कार्य शुरू करने के लिए सरकारी एजेंसियों को 100% सहायता और निजी एजेंसी/व्यक्तिगत उद्यमी को 50% सहायता
	(ख) बड़ी (1 हेक्टेयर)	16.00	
	(ग) छोटी (0.5 हेक्टेयर)	10.00	
2.	**मौजूदा नर्सरी में पौधें उगाना**	प्रति नर्सरी 5.00 लाख रूपये तक	
3.	**टिशू कल्चर यूनिटों की स्थापना**		
	(क) मौजूदा टिशू कल्चर यूनिटों का सुदृढ़ीकरण	20.00	सरकारी एजेंसियों को 100% सहायता और निजी भागीदारों के लिए 50% बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सहायता
	(ख) नई टिशू कल्चर यूनिटों की स्थापना	200.00	सरकारी एजेंसियों को 100% सहायता और निजी भागीदारों के लिए 50% बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सहायता

*****